



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012025-260320
CG-DL-E-18012025-260320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946

No. 321]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/PAUSHA 27, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

का.आ. 323(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 2 नवंबर, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 4595 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई और किये जाने के लिये लोप की गई संबंधित बातों को छोड़कर, केंद्रीय सरकार, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, एतद्वारा सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त एक समिति का पुनर्गठन करती है नामशः:

1.	डॉ. अभिजीत मित्रा पशुपालन आयुक्त, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रतिनिधि, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो सचिव, पशु कल्याण बोर्ड की पंक्ति से नीचे का न हो;	सदस्य
3.	डॉ. राजेंद्र गुलाबराव बम्बल, सचिव (अतिरिक्त प्रभार), भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली (प्रतिनिधि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली)	सदस्य
4.	डॉ. एस. कविमनी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग, मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, पुडुचेरी (प्रतिनिधि, भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली)	सदस्य

5.	डॉ. ए. विशाला, संयुक्त औषधि नियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली (प्रतिनिधि, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली)	सदस्य
6.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की पंक्ति से नीचे का न हो;	सदस्य
7.	प्रो. राणा प्रताप सिंह, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली)	सदस्य
8.	डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता, निदेशक, आईसीएमआर- राष्ट्रीय जैव आयुर्विज्ञान अनुसंधान जंतु संसाधन सुविधा, हैदराबाद, तेलंगाना (प्रतिनिधि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)	सदस्य
9.	डॉ. कार्तिकेयन वासुदेवन, मुख्य वैज्ञानिक, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला (लाकोन्स), कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी), हैदराबाद, तेलंगाना (प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)	सदस्य
10.	डॉ. राघवेंद्र भट्टा, उप महानिदेशक (एएस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली (प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)	सदस्य
11.	डॉ. जी. तरु शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना (प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली)	सदस्य
12.	डॉ. अस्मिता गजभिये, प्राध्यापक और डीन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	सदस्य
13.	प्रो. डॉ. अरविंद दशरथ इंगले, वैज्ञानिक अधिकारी 'एच' और प्रभारी अधिकारी, प्रयोगशाला पशु सुविधा एवं उतक विकृतिविज्ञान, टाटा स्मारक केंद्र, कैंसर उपचार, अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रगत केंद्र, मुंबई, महाराष्ट्र	सदस्य
14.	डॉ. सुवीर एस. मजूमदार, महानिदेशक, गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य
15.	डॉ. रामचंद्र एस.जी., मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक, केंद्रीय पशु सुविधा, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर, कर्नाटक	सदस्य
16.	डॉ. सुरेश पोथानी, सेवानिवृत्त प्रभारी निदेशक एवं वैज्ञानिक जी, आईसीएमआर- राष्ट्रीय जैव आयुर्विज्ञान अनुसंधान जंतु संसाधन सुविधा, हैदराबाद, तेलंगाना	सदस्य
17.	डॉ. आर. गोपीनाथ, उप सचिव, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
18.	डॉ. प्रदीप भाट्ट पाटिल, वैज्ञानिक डी सह उपस्थित पशु चिकित्सक और सहायक प्रोफेसर (एसीएसआईआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना	सदस्य
19.	डॉ. सुजीत कुमार दत्ता संयुक्त आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. समिति का कार्यकाल, यदि पहले भंग न होतो, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

[फा. सं. V-11011(13)/9/2024-सीपीसीएसईए- डीएडीएफ]

डॉ. अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त

टिप्पण: पूर्व समिति का पुनर्गठन भारत के राजपत्र, असाधारण में क्रमांक का.आ. 4595 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2021 द्वारा किया गया जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 3502(ई) दिनांक 16 अगस्त, 2024 द्वारा संशोधित किया गया तथा अधिसूचना का.आ. 5469(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 2024 द्वारा विस्तारित किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry And Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

S.O. 323(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), and in supersession of the notification issued vide S.O. 4595(E) dated 2nd November, 2021 published in Part II- Section 3- Sub-section (ii) of the Gazette of India, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes a Committee consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

1	Dr. Abhijit Mitra Animal Husbandry Commissioner (AHC), Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, New Delhi	Chairman
2	Representative, Animal Welfare Board of India not below the rank of Secretary, Animal Welfare Board of India	Member
3	Dr. Rajendra Gulabrao Bambal, Secretary (Addl. Charge), Veterinary Council of India, New Delhi (Representative, Veterinary Council of India, New Delhi)	Member
4	Dr. S. Kavimani, Professor & HOD, Department of Pharmacology, Mother Theresa Post Graduate & Research, Institute of Health Sciences, Puducherry (Representative, Pharmacy Council of India, New Delhi)	Member
5	Dr. A. Vishala, Joint Drugs Controller, Central Drugs Standards Control Organization, New Delhi (Representative, Central Drugs Standard Control Organization, New Delhi)	Member
6	Chairman, National Medical Commission, New Delhi or his Representative not below the rank of President, National Medical Commission	Member
7	Prof. Rana Pratap Singh, School of Life Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Representative, University Grants Commission)	Member
8	Dr. Mukesh Kumar Gupta, Director, ICMR - National Animal Resource Facility for Biomedical Research, Hyderabad, Telangana (Representative, Indian Council of Medical Research, New Delhi)	Member
9	Dr. Karthikeyan Vasudevan, Chief Scientist, Laboratory for the Conservation of Endangered Species (LaCONES), Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad, Telangana (Representative, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi)	Member
10	Dr. Raghavendra Bhatta, Deputy Director General (AS), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi (Representative, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi)	Member
11	Dr. G Taru Sharma, Director, National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, Telangana (Representative, Department of Biotechnology, New Delhi)	Member
12	Dr. Asmita Gajbhiye, Professor and Dean, School of Engineering and Technology, Dr. Harisingh Gour University, Sagar, Madhya Pradesh	Member
13	Prof. Dr. Arvind Dasharath Ingle, Scientific Officer 'H' and Officer-in-Charge, Laboratory Animal Facility & Histopathology, Tata Memorial Centre, Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC), Mumbai, Maharashtra	Member
14	Dr. Subeer S. Majumdar, Director General, Gujarat Biotechnology University, Gandhinagar, Gujarat	Member

15	Dr. Ramachandra S.G., Chief Research Scientist, Central Animal Facility, Indian Institute of Science, Bangalore, Karnataka	Member
16	Dr. Suresh Pothani, Retired as Director In-charge & Scientist G, ICMR-National Animal Resource Facility for Biomedical Research, Hyderabad, Telangana	Member
17	Dr. R. Gopinath, Deputy Secretary, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	Member
18	Dr. Pradeep Bhatu Patil, Scientist D cum Attending Veterinarian and Assistant Professor (AcSIR), Indian Council of Medical Research-National Institute of Nutrition, Hyderabad, Telangana	Member
19	Dr. Sujit Kumar Dutta Joint Commissioner, Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, New Delhi	Member Secretary

2. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be three years from the date of its constitution.

[F. No. V-11011(13)/9/2024-CPCSEA-DADF]

Dr. ABHIJIT MITRA, Animal Husbandry Commissioner

Note: The previous Committee has been reconstituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O 4595 (E) dated 2nd November, 2021 which was amended vide notification number S.O. 3502(E) dated 16th August, 2024 and extended vide notification number S.O. 5469(E) dated 16th December, 2024.